



सं० 1220-मु०अ०(वा० एवं ऊ०ले०)/सीयू-२/ओ०टी०एस०/2016-17

दिनांक: दिसम्बर, 02, 2016

विषय- दिनांक 02.12.2016 से 31.12.2016 तक एल०एम०वी०-5 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये 100 प्रतिशत विलम्ब सरचार्ज माफी की एकमुश्त समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

ई-मेल

प्रबन्ध निदेशक
मध्योच्चल/पूर्वाञ्चल/पश्चिमोच्चल/दक्षिणोच्चल
विद्युत वितरण निगम लि०
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

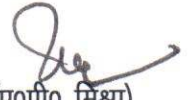
प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर।

महोदय,

दिनांक 02.12.2016 से 31.12.2016 तक एल०एम०वी०-5 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये 100 प्रतिशत विलम्ब सरचार्ज माफी की एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी है। इस योजना के नियम एवं शर्तें बन्ध-पत्र के प्रारूप सहित संलग्न हैं एवं इस कार्यालय को एक मुश्त समाधान योजना की प्रगति आख्या भेजने हेतु प्रपत्र भी संलग्न है। इस योजना से राजस्व वसूली हेतु क्षेत्रवार, मण्डलवार एवं खण्डवार लक्ष्य डिस्काम स्तर से निर्धारित करते हुए इस कार्यालय को अविलम्ब सूचित करने का कष्ट करें।

कृपया उपरोक्त योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए योजना प्रभावी ढंग से लागू करने की व्यवस्था करें जिससे अधिकतम राजस्व प्राप्त हो सके। योजना की प्रगति से प्रतिदिन इस कार्यालय को निर्धारित प्रारूप में अवगत करवाना भी सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।


(ए०पी० मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: /मु०अ०(वा० एवं ऊ०ले०)/सीयू-2/ओ०टी०एस०/2016-17 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वाणिज्य), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० पावर का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (आ० ए० यू०), उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. जनसम्पर्क अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटराइजेशन इकाई), उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को योजना की हार्ड एवं सॉफ्ट कापी के साथ यू०पी०पी०सी० एल० की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

(ए०पी० मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निजी सचिव, प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, लखनऊ।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

विषय :- एल0एम0वी0-5 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये दिनांक 02.12.2016 से दिनांक 31.12.2016 तक 100 प्रतिशत विलम्ब सरचार्ज माफी की एकमुश्त समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

एल0एम0वी0-5 श्रेणी के विद्युत बकायेदारों को उनके 31.10.2016 तक के बिलों में विलम्ब सरचार्ज के रूप में लगायी गयी धनराशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी यदि बिल के मूल धन का एकमुश्त भुगतान किया जाता है एवं अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ता लिखित रूप में इस आशय का बन्ध-पत्र संलग्न प्रारूप में देते हैं कि वे अपने विद्युत संयोजन पर इनर्जी मीटर स्थापित करवाये जाने के इच्छुक हैं साथ ही बन्ध-पत्र में उपभोक्ता यह भी इंगित करेगा की वह विद्युत विभाग से मीटर लगवाना चाहता है या स्वतः विभाग द्वारा नियत मीटर निर्माताओं में से किसी निर्माता से मीटर खरीद कर लगवाना चाहता है। यदि वह स्वतः मीटर खरीदना चाहता है तो वह मीटर निर्माता से मीटर खरीदेगा जिसे विभाग द्वारा निर्धारित समय में उनके विद्युत संयोजन पर स्थापित कर दिया जायेगा। मीटर्ड विद्युत उपभोक्ताओं के लिए उक्त बन्ध-पत्र की बाध्यता नहीं होगी।

(1) समाधान योजना की अवधि :-

यह योजना एल0एम0वी0-5 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए दिनांक 02.12.2016 से दिनांक 31.12.2016 तक प्रवृत्त रहेगी।

(2) पंजीकरण धनराशि :-

इस योजना का लाभ पाने हेतु उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम संलग्न प्रारूप-1 के अनुसार पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा जिसके लिये पंजीकरण के समय उपभोक्ता को रू0 2500/- पंजीकरण राशि के रूप में जमा करानी पड़ेगी। इस राशि को बिल के विरुद्ध किया हुआ भुगतान माना जायेगा।

(3) पंजीकरण कराये जाने की अवधि :-

समाधान योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक बकायेदारों हेतु पंजीकरण दिनांक 31.12.2016 तक खुला रहेगा।

(4) पंजीकरण कार्यालय :-

योजना का पंजीकरण सामान्य रूप से खण्डीय कार्यालय में होगा। यदि खण्डीय कार्यालय काफी दूर हो तो खण्डीय कार्यालय से अधिकारी/कर्मचारीगण प्रतिदिन उपखण्ड कार्यालय में जाकर पंजीकरण का कार्य करेंगे। पंजीकरण हेतु निर्धारित अवधि एवं छूट की व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। यदि कोई उपभोक्ता पंजीकरण हेतु मण्डल कार्यालय पहुँच जाता है तो पंजीकरण की सुविधा मण्डल कार्यालय में उपलब्ध करा दी जायेगी। सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार/मुख्य बिल लिपिक प्राप्त आवेदनों को एक रजिस्टर में निर्धारित प्रारूप-2 (संलग्न) के अनुसार पंजीकृत करेंगे तथा पूर्ण अभिलेख अपने कार्यालय में रखेंगे।

(5) बिल निर्गमन :-

(क) उपभोक्ताओं के संशोधित बिल उसी दिन अथवा विलम्बतम सात दिनों में अग्रिम सूचना के अनुसार उपलब्ध करा दिये जायेंगे। उपभोक्ताओं के प्रार्थना पत्र पर संशोधित बिल उपलब्ध कराने की तिथि अंकित कर दी जायेगी।

- (ग) ऐसे उपभोक्ता, जिनके विरुद्ध सेक्शन 3 व 5 का नोटिस निर्गत हो चुका है, वे भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- (घ) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जो उपभोक्ता योजना के पंजीकरण की अन्तिम तिथि दिनांक 31.12.2016 को पंजीकरण करवाते हैं, उनके बिल दिनांक 07.01.2017 तक संशोधित कर दिये जायेंगे तथा दिनांक 14.01.2017 तक भुगतान प्राप्त किया जायेगा।
- (च) योजना में पंजीकृत ऐसे उपभोक्ता, जो संशोधित बिल का भुगतान योजना के अनुसार दी गयी सुविधानुसार नहीं करते हैं, उनके पंजीकरण निरस्त माने जाएंगे तथा उनके द्वारा जमा करायी गयी पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसे निरस्त पंजीकरण के संबंध में पुनः विचार नहीं किया जायेगा। यदि उपभोक्ता पंजीकरण के पश्चात बिल प्राप्ति के बाद निर्धारित तिथि तक बिल का भुगतान सुनिश्चित नहीं करता है तो बाद में कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा नियमानुसार वसूली की प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।
- (छ) इस योजना के अन्तर्गत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। उपभोक्ताओं से नोटरी द्वारा सत्यापित एफिडेविट इस आशय का प्राप्त किया जायेगा कि योजना के अन्तर्गत समाधान हो जाने पर वे न्यायालयों से अपने वाद वापस ले लेंगे। वितरण निगम द्वारा निर्गत बीजक की मूल राशि का भुगतान करने के उपरान्त ही सम्बन्धित बीजक में अंकित ब्याज की राशि माँफ मानी जायेगी अन्यथा सम्पूर्ण बीजक की राशि ही बकाया रहेगी।
- (ज) योजना के अन्तर्गत पंजीकृत सभी मामले दिनांक 14.01.2017 के पश्चात निस्तारित माने जायेंगे एवं आवश्यकतानुसार विधिक प्राविधानों के अनुसार वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

(6) अपंजीकृत बकायेदारों के विरुद्ध कार्यवाही :-

पंजीकरण अवधि समाप्त होने पर पंजीकृत बकायेदारों के अतिरिक्त अन्य सभी बकायेदारों से वसूली हेतु विद्युत विच्छेदन व भू-राजस्व की भाँति प्रभावी वसूली हेतु नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी एवं पंजीकरण अवधि में अपंजीकृत बकायेदारों से वसूली हेतु विच्छेदन की कार्यवाही प्रभावी रहेगी।

(7) अनुमन्य छूट देने की प्रक्रिया :-

इस योजना के अन्तर्गत एल0एम0वी0-5 श्रेणी के विद्युत बकायेदारों को उनके दिनांक 31.10.2016 तक के विद्युत बिलों में विलम्ब सरचार्ज के रूप में लगायी गयी धनराशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी यदि बिल के मूल धन का एक मुश्त भुगतान किया जाता है एवं अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ता लिखित रूप में इस आशय का बन्ध-पत्र संलग्न प्रारूप में देते हैं कि वे अपने विद्युत संयोजन पर इनर्जी मीटर स्थापित करवाये जाने के इच्छुक हैं साथ ही बन्ध-पत्र में उपभोक्ता यह भी इंगित करेगा कि वह विद्युत विभाग से मीटर लगवाना चाहता है या स्वतः विभाग द्वारा नियत मीटर निर्माताओं में से किसी निर्माता से मीटर खरीद कर लगवाना चाहता है। यदि वह स्वतः मीटर खरीदना चाहता है तो वह मीटर निर्माता से मीटर खरीदेगा जिसे विभाग द्वारा निर्धारित समय में उनके विद्युत संयोजन पर स्थापित कर दिया जायेगा। मीटर्ड विद्युत उपभोक्ताओं के लिए उक्त बन्ध-पत्र की बाध्यता नहीं होगी। यदि सरचार्ज गणना योग्य नहीं है, तो सरचार्ज की गणना कुल बिल की धनराशि के अधिकतम 35 प्रतिशत के समतुल्य ली जायेगी। इस प्रकार आंकलित सरचार्ज की राशि पर उपरोक्तानुसार छूट अनुमन्य होगी।

- (8) यदि समाधान योजना के अन्तर्गत पंजीकृत बकायेदारों के अन्तिम देय बिल की राशि उसके द्वारा पंजीकरण के समय जमा की राशि से कम आती है तो उपभोक्ता से अधिक ली गई राशि आगे के बिलों में समायोजित कर दी जायेगी। यदि बिल की राशि पंजीकृत राशि से अधिक है तो उपभोक्ता द्वारा अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (9) योजना में पंजीकृत उपभोक्ताओं के बिलों का निस्तारण 'प्रथम आओ प्रथम पाओ' के आधार पर किया जायेगा।

(10) बिल संशोधन की प्रक्रिया :-

- (अ) कुछ उपभोक्ताओं को विच्छेदन तिथि, देय धनराशि, कटे संयोजनों पर बिल जारी होते रहने व इसी प्रकार के अन्य कारणों से बिल संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। अतः जिन बकायेदारों के बिल संशोधित होने हैं उनको पंजीकरण के पश्चात शुद्ध बिल जारी करना खण्ड के अधिशासी अभियन्ता का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। बिल का संशोधन व अवास्तविक धनराशि के अपलेखन हेतु अधिशासी अभियन्ता से निम्नतर स्तर का कोई अधिकारी/कर्मचारी अधिकृत नहीं होगा।
- (ब) बिलों को संशोधित करने का रिकार्ड निर्धारित **प्रारूप-3** (संलग्न) में अधिशासी अभियन्ता की व्यक्तिगत कस्टडी में रखा जायेगा।
- (11) योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु कोई प्रार्थना-पत्र बिना विशिष्ट कारण के अस्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (12) योजना के अन्तर्गत सभी उपभोक्ताओं को विलम्ब सरचार्ज में प्रदान की गयी छूट का दैनिक विवरण सम्बन्धित डिस्काम मुख्यालय द्वारा निर्धारित **प्रारूप-4** (संलग्न) एवं अन्तिम विस्तृत विवरण दिनांक **21.01.2017** तक निर्धारित संलग्न **प्रारूप-5** (संलग्न) में वाणिज्य स्कन्ध मुख्यालय, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

संलग्नक: यथोपरि :-

बन्ध-पत्र

मैं.....पुत्र श्री..... निवासी.....

यह वचन देता हूँ कि मैं अपने विद्युत संयोजन पर इनर्जी मीटर स्थापित करवाने हेतु निम्न विकल्पों के अनुसार इच्छुक हूँ।

(क) विद्युत विभाग मेरे संयोजन पर मीटर लगवाना सुनिश्चित करे।

हाँ/ना

(ख) विद्युत विभाग द्वारा नियत मीटर निर्माताओं में से किसी निर्माता से, मैं मीटर स्वयं खरीदूंगा जिसे विद्युत विभाग मेरे विद्युत संयोजन पर स्थापित करवा दें।

हाँ/ना

उपभोक्ता के हस्ताक्षर.....

उपभोक्ता का नाम.....

विद्युत संयोजन सं० /

बुक सं०

दिनांक:-

एक मुश्त समाधान योजना 2016-17
एल0एम0वी0-5(ग्रामीण) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये

विद्युत बिल संशोधन एवं विलम्ब सरचार्ज में छूट हेतु प्रस्तावित योजना पंजीकरण फार्म।

- 1- उपभोक्ता का नाम :
- 2- उपभोक्ता का पता :
- 3- वितरण खण्ड का नाम :
- 4- वितरण कनेक्शन सं०/बुक सं० :
- 5- श्रेणी :
- 6- संयोजन की अद्यतन स्थिति : कटा है / जुड़ा है।
- 7- अन्तिम भुगतान बिल की छायाप्रति : संलग्न है / नहीं है।
- 8- विद्युत बकाया बिल : सहमत है / सहमत नहीं है।
- 9- बकाया बिल की राशि से सहमत न होने के कारण :
- 10- पंजीकरण शुल्क :

दिनांक

उपभोक्ता के हस्ताक्षर

कार्यालय द्वारा भरा जाना है

पंजीकरण संख्या दिनांक

पंजीकरण शुल्क रसीद संख्या दिनांक

अधिकारी के हस्ताक्षर

एक मुश्त समाधान योजना 2016-17
(एल०एम०वी०-5 उपभोक्ताओं के लिए)

विद्युत बिल संशोधन एवं विलम्ब सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट (Waiver) की योजना के अन्तर्गत पंजीकृत उपभोक्ताओं का विवरण।

(खण्डीय कार्यालय रजिस्टर)

क्र०स०	उपभोक्ता का नाम	संयोजन सं०	श्रेणी	पंजीकरण का विवरण			संशोधन के पूर्व की बकाया राशि (रु०)			संशोधन के पश्चात् की बकाया राशि (रु०)			उपभोक्ता को संशोधित बिल निर्गत करने की तिथि	छूट की राशि (रु०)	उपभोक्ता द्वारा जमा की गयी राशि (रु०)
				शुल्क (रु०)	रसीद सं०	रसीद तिथि	मूल	सरचार्ज	योग	मूल	सरचार्ज	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

एक मुश्त समाधान योजना 2016-17
(एल0एम0वी0-5 उपभोक्ताओं के लिए)

विद्युत बिल संशोधन एवं विलम्ब सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट (Waiver) की योजना के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा रखी जाने वाली सूचना।

विद्युत वितरण खण्ड.....

दिनांक:.....

क्र०सं०	उपभोक्ता का नाम	संयोजन सं०	श्रेणी	पंजीकरण का विवरण			संशोधन के पूर्व की बकाया राशि (रु०)			संशोधन के पश्चात् की बकाया राशि (रु०)			अपलेखन राशि (रु०)			भुगतान के विवरण			कम्प्यूटर में फीड करने का विवरण	
				शुल्क (रु०)	रसीद सं०	रसीद तिथि	मूल	सरचार्ज	योग	मूल	सरचार्ज	योग	मूल	सरचार्ज	योग	दिनांक	रसीद सं०	राशि (रु०)	दिनांक	किस कर्मचारी द्वारा फीड किया गया।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

(दिनांक 02.12.2016 से 31.12.2016 तक)

[illegible]

